न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 40 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1– हीराचन्द पुत्र श्री केवाजी उर्फ केवलचंद 2– ओटमल पुत्र केवाजी उर्फ केवलचंद सर्व जातियान जैन निवासीयान सनवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्र्तगत धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु

निर्णय दिनांक 25–11–2020

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु दिनांक 5–7–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि गांव आमली पटवार क्षैत्र वेलांगरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 434 रकबा 2.4300 हैक्टेयर कुल किता एक रकबा 2.4300 हैक्टेयर आई हुई है। वर्णित राजस्व आराजी मे प्रार्थीगण व श्रीमती पंकूबाई बेवा केवाली उर्फ केवलचंदजी का संयुक्त व अविभक्त हक हिस्सा दर्ज है श्रीमती पंकूबाइ बेवा केवाजी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके कायम मुकाम व वारिसान प्रार्थीगण ही है तथा प्रार्थीगण संयुक्त रूप से वर्णित कृषि भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है जिसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है। वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आंतक है जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मते अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्राार्गिण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 322 खसरा नंबर 434 रकबा 2.4300 हैक्टेयर व नक्शा ट्रेस प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 5–7–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 1152 दिनांक 5–7–2019 जारी किया गया । उक्त नोटिस 3–8–2019 को तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी स्टेट पै[illegible]ार को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देने तथा सी[illegible] दिन की समयावधि व्यतीत होने से आगे समय दिया जाना उचित न[illegible] से अप्रार्थी [illegible]तहसीलदार सिरोही का जवाब न्यायालय द्वारा आज दिनांक 24–11–2020 को दौरान सुनवाई अप्रार्थी स्टेट तहसीलदा[illegible] का जवाब बंद किया गया । दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व[illegible]रोकार सरकार द्वारा विचा[illegible]रण मे आज ही अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व उक्त जमाबंदी व नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आंतक है जिससे प्रार्थीगण की फसल

को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मे अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्राीगण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा । प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा व प्रभावशाली व्यक्ति अतिक्रमण नही करे इस हेतु प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराकर उस पर पत्थरगढी करवाने का विधि सम्मत अधिकार है। अन्यथा प्रकरण मे अन्य समस्याऐ जन्म लेकर प्रकरण कानूनी अडचने पडने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट 1956 का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 322 खसरा नंबर 434 रकबा 2.4300 हैक्टेयर का प्रार्थीगण द्वारा आवेदन करने पर सशुल्क नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रार्थीगण को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने हेतु नियमानुसार तहसीलदार सिरोही के कार्यालय मे आवेदन करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज.) ★
सत्यमेव जयते

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested